



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2385 /SEIAA/22

Date: 20/12/22

प्रति,

मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, प्रा.लि.,
संचालक श्रीमती स्मिता नीखरा,
पत्नि श्री राजेश नीखरा
फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लाट नं. 07,
हरिओम कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/234259/2021 - प्रकरण क्र. 2141/2014 : परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील -छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, प्रा.लि.,संचालक श्रीमती स्मिता नीखरा, पत्नि श्री राजेश नीखरा फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लाट नं. 07, हरिओम कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील -छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, प्रा.लि.,संचालक श्रीमती स्मिता नीखरा, पत्नि श्री राजेश नीखरा फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लाट नं. 07, हरिओम कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, प्रा.लि.,संचालक श्रीमती स्मिता नीखरा, पत्नि श्री राजेश नीखरा फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लाट नं. 07, हरिओम कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 3250 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की प्रति प्रस्तुत की गई।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति प्रस्तुत की गई।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 485 दिनांक 02.03.2017 (शेष अवधि 09.02.2021 तक) की प्रति।
- VII. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 5838-39 दिनांक 15.04.2021 (दिनांक 09.02.2031 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 747वी बैठक दिनांक 14.09.2022 में प्रकरण का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

.....प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार उपरांत सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को **Delist** किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर सिया कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधितों को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 22.11.2022 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।


अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3250 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील -छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सियाराम सरकार ओर्स, प्रा.लि.,संचालक श्रीमती स्मिता नीखरा, पत्नि श्री राजेश नीखरा फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 07, हरिओम कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 08.07.2015 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 5838-39 दिनांक 15.04.2021 अनुसार दिनांक 09.02.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन अनुसार आंशिक रूप से पूर्ण बताई गई शर्तों का परिपालन 06 माह में पूर्ण कर प्रतिवेदन **SEIAA** कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. 2386 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक :

OK
20/12/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री आलोक सक्सेना, निवासी- जवाहर रोड़, नौगोंव, जिला छतरपुर (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी